

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्र/6/बजट/2018/955

भोपाल,दिनांक 15/02/2018

प्रति,

1. समस्त,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र.,।
2. समस्त,प्राचार्य -नर्सिंग कॉलेज- उज्जैन जबलपुर म.प्र.,।

T.L. 21.02.18


विषय:-नर्सिंग संस्थाओं के वित्तीय प्रबंधन के संबंध में।

संदर्भ:-संचालनालय का पत्र क्रमांक/6/बजट/2018/937 दिनांक 07.02.2018

:-:-

विषयान्तर्गत संदर्भित संचालनालय के पत्र का अवलोकन करें। अत्यंत खेद का विषय है कि समय-सीमा देने के उपरांत भी आपके द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। अविलम्ब जानकारी प्रस्तुत करें। अन्यथा इस संबंध में स्वास्थ्य आयुक्त महोदया, के समक्ष आपको व्यक्तिशः उपस्थित होकर जानकारी देनी होगी।

इस पत्र को अंतिम पत्र माना जाए एवं तत्काल जानकारी उपलब्ध कराई जायें।


  
(डॉ०राजीव सक्सेना) 15/2/18  
अतिरिक्त संचालक(वित्त)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म.प्र.  
भोपाल,दिनांक 15/02/2018

पू.क्र/6/बजट/2018/956

प्रतिलिपि :-सूचनार्थ प्रेषित।

1. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,स्थानीय कार्यालय।
2. संचालक,स्वास्थ्य सेवों(वित्त) की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक,स्वास्थ्य सेवायें (नर्सिंग)मध्य प्रदेश।
4. प्रभारी एम.आई.एस.विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

  
अतिरिक्त संचालक(वित्त) 15/2/18  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
म.प्र.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/6/आडिट/2017-18/1162  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 15/02/2018

1. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र.,।
3. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.,।
4. संचालक, राज्य क्षय प्रशिक्षण केन्द्र, ईदगाह हिल्स, भोपाल।
5. जिला मलेरिया अधिकारी, म.प्र.।

विषय:-रोगी कल्याण समितियों के लेखा परीक्षा के संबंध में।

संदर्भ:-संचालनालय का पत्र क्रमांक 6/आडिट/2017-18/1173 दिनांक 22.02.17, पत्र क्र.172 दिनांक एवं अ.शा.पत्र दिनांक 11.8.17।

00000

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र एवं अर्धशासकीय पत्र द्वारा संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा रोगी कल्याण समितियों का किये गये ऑडिट रिपोर्ट में उठाये गए महत्वपूर्ण बिन्दुओं की संक्षेपिका एवं स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा आपके कार्यालयों में किये गये आडिटों का पालन प्रतिवेदन भेजने को लिखा गया है। आज दिनांक तक आपके द्वारा स्थानीय निधि संपरीक्षा से न आडिट करवाई एवं न ही पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

अतः आपको पुनः स्मरण कराया जा रहा है की पत्र प्राप्ति के 07 दिवस के अंदर स्थानीय निधि संपरीक्षा से आडिट करा कर एवं किये गये आडिट के पालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता उपलब्ध कराये। अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(Ordered by Director)

अतिरिक्त संचालक (वित्त)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
म.प्र.

पृ. क्रमांक 6/आडिट/2017-18/1163

भोपाल, दिनांक 15/02/2018

प्रतिलिपि :-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
3. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ (वित्त) स्थानीय कार्यालय।
4. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.।
5. अपर संचालक, प्रशासन, स्थानीय कार्यालय भोपाल।
6. प्रभारी, एम.आई.एस., विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त संचालक (वित्त)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
म.प्र.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्र/6/बजट/2018/937

भोपाल,दिनांक 07/02/2018

प्रति,

1. समस्त,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र.,।
2. समस्त,प्राचार्य -नर्सिंग कॉलेज- उज्जैन जबलपुर म.प्र.,।


T. L 12-18

विषय:-नर्सिंग संस्थाओं के वित्तीय प्रबंधन के संबंध में।

:-:-

विषयान्तर्गत आपके अधीन कार्यरत जी.एन.एम.टी.सी एवं ए.एन.एम.टी.सी को किन-किन गतिविधियों में किन-किन स्रोतों से एवं किस प्रकार राशि आवंटन की गई है, इसका आय व्यय पत्रक दिनांक 31.01.2018 अंत की स्थिति में अनिवार्यतः दिनांक 12.02.2018 तक अपर संचालक(वित्त) को उपलब्ध करावयें।

1. उल्लेखनीय है कि राज्य बजट एवं एन.एच.एम या अन्य किसी फण्ड से एवं जिन स्वीकृत गतिविधियों हेतु आपने कार्य किया है, उसकी सम्पूर्ण स्पष्ट जानकारी, आपके पत्रकों में हो।
2. नर्सिंग कॉलेज के निर्देश है कि आपको उपलब्ध कराये गए राज्य बजट की राशि एवं इसका उपयोग एवं अन्य किसी फण्ड स्रोत से यदि आपको राशि मिली हो, तो उनकी सम्पूर्ण जानकारी आप भी उपरोक्तानुसार दिनांक 12.02.2018 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. समय-सीमा अशिथिलनीय है। राशि का आकंड़ा लाखों में हो एवं राशि जहाँ पर खर्च ना हो पाई है एवं वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सकें हैं, उसका कारण एवं जिम्मेदारी भी स्पष्ट रूप से अवगत कराई जाए।


  
7/2/18

(डॉ०राजीव सक्सेना)  
अतिरिक्त संचालक(वित्त)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म.प्र.  
भोपाल,दिनांक 07/02/2018

पृ.क्र/6/बजट/2018/938

प्रतिलिपि :-सूचनार्थ प्रेषित।

1. आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें,स्थानीय कार्यालय।
2. संचालक,स्वास्थ्य सेवों(वित्त) की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक,स्वास्थ्य सेवायें (नर्सिंग)मध्य प्रदेश।
4. प्रभारी एम.आई.एस.विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

  
7/2/18

अतिरिक्त संचालक(वित्त)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
म.प्र.

No	S.No.	Institution Name	Institution Type	Batch Size (No. of student)		
1	1	Jabalpur Nursing College	Bsc nursing	60		
2	2	Ujjain Nursing College	Bsc nursing	60		
3	1	Balaghat GNM	GNM	60		
4	2	Chhindwara GNM	GNM	60		
5	3	Datia GNM	GNM	40		
6	4	Dewas GNM	GNM	60		
7	5	Jhabua GNM	GNM	60		
8	6	Khandwa GNM	GNM	60		
9	7	Mandsaur GNM	GNM	60		
10	8	Narsinghpur GNM	GNM	60		
11	9	Raisen GNM	GNM	60		
12	10	Rajgarh GNM	GNM	60		
13	11	Ratlam GNM	GNM	60		
14	12	Satna GNM	GNM	60		
15	13	Seoni GNM	GNM	60		
16	14	Sidhi GNM	GNM	60		
17	15	Vidisha GNM	GNM	60		
18	1	Barwani ANM	ANM	60		
19	2	Betul ANM	ANM	60		
20	3	Burhanpur ANM	ANM	40		
21	4	Chhindwara ANM	ANM	40		
22	5	Dhar ANM	ANM	60		
23	6	Itarsi ANM	ANM	60		
24	7	Mandla ANM	ANM	60		
25	8	Panna ANM	ANM	60		
26	9	Sagar ANM	ANM	60		
27	10	Sehore ANM	ANM	60		
28	11	Shahdol ANM	ANM	60		
29	12	Shivpuri ANM	ANM	60		
30	13	Ujjain ANM	ANM	40		
31	1	Barwani male MPW	MPW	60		
32	2	Sagar male MPW	MPW	60		
35	1	Annuppur ANM	ANM	40		
36	2	Bhind ANM	ANM	40		
37	3	Chhattarpur ANM	ANM	60		
38	4	Dindori ANM	ANM	40		
39	5	Guna ANM	ANM	20		
40	6	Morena ANM	ANM	60		
41	7	Tikamgarh ANM	ANM	60		
42	8	Umaria ANM	ANM	40		
43	1	Hamdia Hospital bhopal	GNM	35	under DME	Only Stipend paid to students
44	2	MY Hospital medical indore	GNM	41	under DME	
45	3	J.A Gwalior	GNM	41	under DME	
46	4	Medical college jabalpur	GNM	47	under DME	
47	5	G.M medical collge Rewa	GNM	32	under DME	
48	6	District Hospital sagar	GNM	60	under DME	

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/6/बजट/2017-18/928

भोपाल, दिनांक 06/02/2018

प्रति,

1. समस्त, क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
2. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र.,।
3. समस्त, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.,।
4. संचालक, राज्य क्षय प्रशिक्षण केन्द्र, ईदगाह हिल्स, भोपाल।
5. समस्त, जिला मलेरिया अधिकारी, म.प्र.।
6. समस्त, प्राचार्य -नर्सिंग कॉलेज- उज्जैन जबलपुर म.प्र.,।
7. समस्त, प्राचार्य प्रशिक्षण केन्द्र, जिला-ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर मध्य प्रदेश।
8. अधीक्षक-जे.एस.आर इटारसी/रानी दुर्गावती जबलपुर/के.एन.के.भोपाल/टी.बी. अस्पताल भोपाल/छतरपुर/छिन्दवाडा/जबलपुर/सिविल अस्पताल बैरागढ़।

विषय:-बजट माँग के संबंध में।

00000

विषयांतर्गत संचालनालय में विभिन्न माध्यमों से बजट के माँग पत्र प्राप्त होते हैं, एवं पत्र विभिन्न अधिकारियों को पृष्ठांकित किए जाते हैं जो कि डाक की रूटिन प्रक्रिया में बार - बार वही पत्र वित्त शाखा में प्राप्त होता है इससे व्यस्थाओं पर पतिकूल प्रभाव पड़ता है। पूर्व में संचालनालय से यह निर्देश दिये गये थे, कि बजट माँग के संबंध में पत्र सामान्यतः अतिरिक्त संचालक, वित्त को भेजे जाये।

पुनः निर्देश दिये जाते हैं, कि आप की बजट माँग के पत्र निम्न अनुसार भेजे जाये :-

1. डी.डी.ओ. वाईज बजट नॉन ग्लोबल मदों में जारी किया जाता है ग्लोबल मदों में नहीं अतः ग्लोबल मदों में माँग पत्र न भेजे।
2. माँग पत्र के साथ विश्लेषणात्मक औचित्य निश्चय ही होना चाहिए साथ ही कोषालय सर्वर का पत्रक अवश्य भेजे।
3. वास्तविकता एवं औचित्य से परे जाकर अत्यधिक राशि की माँग न भेजे इस संबंध में औचक निरीक्षण/अनुश्रवण किया जायेगा एवं निर्देशों का पालन नहीं पाया गया तो इसको वित्तीय विसंगति माना जायेगा एवं कार्यवाही की जावेगी।
4. उपलब्ध बजट के अंदर ही मितव्ययता पूर्वक कार्यवाही होनी चाहिए बजट की प्रत्यक्षा में दायित्व सृजित न किए जाये।
5. जिन मदों में आप राशि का उपयोग नहीं कर सकते उसको कोषालय आई.डी. पर समर्पित करें ताकि उसका उपयोग अन्य कहीं हो सके। कृपया ध्यान दे वर्पान्त में राशि आपके स्तर पर समर्पित या लैप्स की स्थिति बनी तो संबंधित लेखापाल एवं आहरण संवितरण अधिकारी व्यक्तिशः कार्यवाही के भागीदार होंगे।

(संचालक द्वारा अनुमोदित)

(डॉ.राजीव सक्सेना)  
अतिरिक्त संचालक (वित्त)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

पृ. क्रमांक 6/बजट/2017-18/929

भोपाल, दिनांक 06/02/2018

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
2. संचालक, वित्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, स्थानीय कार्यालय, भोपाल।
3. प्रभारी एमआईएस, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें

अतिरिक्त संचालक (वित्त)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
भोपाल म0प्र0

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/6/बजट/2017-18/1156  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 6/02/2018

1. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र.,।
3. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.,।
4. संचालक, राज्य क्षय प्रशिक्षण केन्द्र, ईदगाह हिल्स, भोपाल।
5. जिला मलेरिया अधिकारी, म.प्र.।
6. प्राचार्य - नर्सिंग कॉलेज- उज्जैन जबलपुर म.प्र.,।
7. प्राचार्य प्रशिक्षण केन्द्र, जिला-ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर मध्य प्रदेश।
8. अधीक्षक

विषय:- औषधि स्टोर एवं अन्य स्टोर (खपने वाले एवं न खपने वाले सामान) का सत्यापन में शिथिलता बरतने पर कारण बताओं नोटिस।

संदर्भ:- संचालनालय का पत्र क्रमांक 6/बजट/2017-18/579 दिनांक 02.11.2017 एवं पत्र क्रमांक 671 दिनांक 25.11.2017

00000

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपके कार्यालय के स्टोर औषधि स्टोर एवं अन्य स्टोर (खपने वाले एवं न खपने वाले सामान) का सत्यापन कर दिनांक 15.11.2017 तक सत्यापन की रिपोर्ट चाही गई थी जो आज दिनांक तक अप्राप्त हैं। म.प्र. वित्त संहिता के अध्याय 7 भण्डार में भण्डार संबंधी निर्देश दिये गये हैं कि भण्डार के संबंध में सत्यापन संबंधी कार्यवाही न करने पर एवं वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों का पालन न करने से आपके द्वारा वित्तीय अनियमितता एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु स्वभागी बना लिया गया है।

अतः औषधि स्टोर एवं अन्य स्टोर (खपने वाले एवं न खपने वाले सामान) का सत्यापन कर, दिनांक 12.12.2018 तक सत्यापन की रिपोर्ट संचालनालय की ऑडिट शाखा को पत्र वाहक के हस्ते प्रस्तुत करें। अन्यथा कार्यालय प्रमुख संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध " म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) " के अंतर्गत एक वार्षिक वेतनवृद्धि रोके जाने कि कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त  
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक 6/बजट/2017-18/1157

भोपाल, दिनांक 6/02/2018

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
3. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ (वित्त) स्थानीय कार्यालय।
4. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र.।
5. अपर संचालक, प्रशासन, स्थानीय कार्यालय भोपाल।
6. प्रभारी, एम.आई.एस., विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

स्वास्थ्य आयुक्त  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

कमांक/6/बजट/2017-18/928

भोपाल,दिनांक 06/02/2018

प्रति,

1. समस्त, क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
2. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र.,।
3. समस्त, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.,।
4. संचालक, राज्य क्षय प्रशिक्षण केन्द्र, ईदगाह हिल्स, भोपाल।
5. समस्त, जिला मलेरिया अधिकारी, म.प्र.।
6. समस्त, प्राचार्य -नर्सिंग कॉलेज- उज्जैन जबलपुर म.प्र.,।
7. समस्त, प्राचार्य प्रशिक्षण केन्द्र, जिला-ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर मध्य प्रदेश।
8. अधीक्षक-जे.एस.आर इटारसी/रानी दुर्गावती जबलपुर/के.एन.के.भोपाल/टी.बी. अस्पताल भोपाल/छतरपुर/छिन्दवाडा/जबलपुर/सिविल अस्पताल बैरागढ़।

विषय:-बजट माँग के संबंध में।

00000

विषयांतर्गत संचालनालय में विभिन्न माध्यमों से बजट के माँग पत्र प्राप्त होते हैं, एवं पत्र विभिन्न अधिकारियों को पृष्ठांकित किए जाते हैं जो कि डाक की रूटिन प्रक्रिया में बार - बार वही पत्र वित्त शाखा में प्राप्त होता है इससे व्यस्थाओ पर, पतिकूल प्रभाव पडता है। पूर्व में संचालनालय से यह निर्देश दिय गये थे, कि बजट माँग के संबंध में पत्र सामान्यतः अतिरिक्त संचालक, वित्त को भेजे जाये।

पुनः निर्देश दिये जाते हैं, कि आप की बजट माँग के पत्र निम्न अनुसार भेजे जाये :-

1. डी.डी.ओ. वाईज बजट नॉन ग्लोबल मदों में जारी किया जाता है ग्लोबल मदों में नहीं अतः ग्लोबल, मदों में माँग मत्र न भेजे।
2. माँग पत्र के साथ विश्लेषणात्मक औचित्य निश्चय ही होना चाहिए साथ ही कोषालय सर्वर का पत्रक अवश्य भेजे।
3. वास्तविकता एवं औचित्य से परे जाकर अत्यधिक राशि की माँग न भेजे इस संबंध में औचक निरीक्षण/अनुश्रवण किया जायेगा एवं निर्देशों का पालन नहीं पाया गया तो इसको वित्तीय विसंगति माना जायेगा एवं कार्यवाही की जावेगी।
4. उपलब्ध बजट के अंदर ही मितव्यता पूर्वक कार्यवाही होनी चाहिए बजट की प्रत्यशा में दायित्व सृजित न किए जाये।
5. जिन मदों में आप राशि का उपयोग नहीं कर सकते उसको कोषालय आई.डी. पर समर्पित करें ताकि उसका उपयोग अन्य कहीं हो सके। कृपया ध्यान दे वर्षान्त में राशि आपके स्तर पर समर्पित या लैप्स की स्थिति बनी तो संबंधित लेखापाल एवं आहरण संवितरण अधिकारी व्यक्तिशः कार्यवाही के भागीदार होंगे।

(संचालक द्वारा अनुमोदित)

(डॉ.राजीव/सक्सेना)  
अतिरिक्त संचालक (वित्त)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

MIS  
web  
पत्र भेजा  
19/2/18



संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/6/बजट/2017-18/904  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 02/02/2018

1. समस्त, क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
2. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र.,।
3. समस्त, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.,।
4. संचालक, राज्य क्षय प्रशिक्षण केन्द्र, ईदगाह हिल्स, भोपाल।
5. समस्त, जिला मलेरिया अधिकारी, म.प्र.।
6. समस्त, प्राचार्य - नर्सिंग कॉलेज- उज्जैन जबलपुर म.प्र.,।
7. समस्त, प्राचार्य प्रशिक्षण केन्द्र, जिला-ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर मध्य प्रदेश।
8. अधीक्षक-जे.एस.आर इटारसी/रानी दुर्गावती जबलपुर/के.एन.के.भोपाल/टी.बी. अस्पताल भोपाल/छतरपुर/छिन्दवाडा/जबलपुर/सिविल अस्पताल बैरागढ़।

विषय:- नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के वेतन के संबंध में।

संदर्भ:- संचालनालय का पत्र क्रमांक 6/बजट/2017-18/821 दिनांक 11.01.2018 एवं पत्र क्रमांक 836 दिनांक 19.01.2018

00000

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा नये प्रान फार्म की व्यवस्था स्पष्ट की गई है। अतः सभी संबंधित प्रकरणों में अवलिम्ब कार्यवाही कराई जाए, साथ ही जुलाई 2017 में नये चिकित्सा अधिकारी जिनको प्रान आवंटित न पाने के कारण वेतन आहरित न हो पा रहा है, उक्त संबंध में भी संदर्भित पत्र के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करनी होगी। इस संबंध में समय-सीमा दिनांक 25.01.2018 तय की गई थी ताकि संबंधितों को जनवरी 2018 पैड फरवरी 2018 तक उनके वेतन का भुगतान हो जाए। किन्तु आज दिनांक तक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है आपको पुनः स्मरण कराया जा रहा है कि उपर्युक्त के संबंध में आपके द्वारा की गई कार्यवाही एवं अद्यतन जानकारी से संचालनालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

(डॉ. राजीव सक्सेना)

अतिरिक्त संचालक (वित्त)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
भोपाल म.प्र.

पृ. क्रमांक 6/बजट/2017-18/905  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 02/02/2018

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
3. आयुक्त कोष एवं ह्रेखा की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, पेन्शन भविष्य निधि एवं बीमा म.प्र. शासन वित्त विभाग भोपाल।
5. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अपर संचालक, प्रशासन, स्थानीय कार्यालय भोपाल।
7. प्रभारी, एम.आई.एस., विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त संचालक (वित्त)  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
भोपाल म0प्र0

2/2/18

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/6/बजट/2017-18/912  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 02/02/2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला - खण्डवा, रीवा, सागर, सिंगरौली  
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,  
जिला - सीधी  
मध्यप्रदेश ।

विषय:- राज्य बजट मद से "एम.पी.औषधि" साफ्टवेयर के माध्यम से जारी क्रयादेशों का भुगतान दिनांक 01.04.2017 से कॉर्पोरेशन के केन्द्रीय बैंक खाते (पंजाब नेशनल बैंक) से करने बावत।

संदर्भ :- संचालनालय का पत्र क्रमांक 6/बजट/2017-18/36 दिनांक 18.04.2017 ।

00000

उपरोक्त विषयांगत वित्तीय वर्ष 2017-18 में योजना क्रमांक 9812- उपस्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना योजना अंतर्गत औषधि 34-002 मद में उपलब्ध राशि का आवंटन "एम.पी.औषधि" साफ्टवेयर के माध्यम पर आपको वर्चुअल लिमिट जारी की जा रही है । अतः सूचनार्थ एवं परीक्षण उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

वर्चुअल लिमिट का विवरण योजना/मद सेगमेंट वार

स.क्र.	जिले एवं कार्यालय का नाम	पूर्ण लेखाशीर्ष	वर्चुअल लिमिट राशि (रु० में)
1	CMHO Khandwa	19-2210-	300000
2	CMHO Rewa	03-198-	300000
3	CMHO Sagar	9812-0101-	300000
4	CMHO Singrauli	34-002	300000
5	CS Sidhi		300000
		<b>Total</b>	<b>1500000</b>

अतः सीएमएचओ, सीएस कार्यालय हेतु राशि रु 1500000 का आवंटन पेपर लिमिट के रूप में कॉर्पोरेशन को दिया जा रहा है।

संचालक, स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित

(डॉ. राजीव सक्सेना)

अतिरिक्त संचालक (वित्त)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

भोपाल, दिनांक 02/02/2018

पृ. क्रमांक 6/बजट/2017-18/913

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ ।

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, म0प्र0 ।
3. प्रबंध संचालक, कॉर्पोरेशन की और, अनुरोध है, कि आप निम्नानुसार वर्चुअल लिमिट लेखाशीर्षवार प्राधिकारवार सिस्टम में अपलोड कराने हेतु प्रेषित तथा आपका वास्तविक देयक नियमानुसार परीक्षण आवश्यक प्रमाणन के उपरांत संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं को प्रेषित किया जाये, जो कि नियमानुसार कोषालय के माध्यम से प्रतिपूर्ति राशि प्रदाय की जायेगी ।
4. आहरण संचालक, स्थानीय कार्यालय भोपाल ।
5. प्रभारी, एमआईएस, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु ।

अतिरिक्त संचालक (वित्त)

2/2/18